न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्याः– 12/49/2019

अपीलार्थीः–

लालराम सैनी पुत्र स्व0 सुन्दर लाल सैनी निवासी अखैपुरा मौहल्ला राजपूत छात्रावास के पीछे अलवर, जिला अलवर।

प्रत्यर्थीः–

लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अति0 जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

—:: निर्णय ::—

दिनांकः– 27–08–2019

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा–6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 10.06.19 के माध्यम से आवेदन पत्र में वर्णित बिन्दूवार सूचना चाही गई थी, जो उन्हें उपलब्ध नहीं कराई गई। अतः वॉछित सूचनाएं दिलवाई जावे।
2. अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में लोक सूचना अधिकारी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 30.07.2019 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित नहीं आया। लोक सूचना अधिकारी से जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी ने पत्रांक 1197 दिनांक 30.07.19 के माध्यम से जबाब नोटिस पेश किया जिसके द्वारा अवगत कराया है कि उक्त प्रा0पत्र0 दिनांक 10.06.19 के संबंध में अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र दिनांक 29.04.19 के माध्यम से पेशन संबंधी निदेशक पेंशन एवं पेंशनर्स वैलफेयर विभाग राज0 जयपुर से सूचना चाही गई थी, जिस पर लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रार्थी को पूर्व में पत्रांक 900–01 दिनांक 14.06.19 के माध्यम से उपलब्ध कराई जा चुकी है। अपीलार्थी को आवेदन दिनांक 29.04.19 के संबंध में पत्र दिनांक 14.06.19 के माध्यम से सूचित किया जा चुका है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा पुनः पत्रांक 1197 दिनांक 30.07.19 के माध्यम से चाही गई सूचना उपलब्ध कराई जा चुकी है। लोक सूचना अधिकारी के जबाव से जाहिर है कि प्रार्थी को नियत समय अवधि में सूचित किया जा चुका है। अतः अपील अपीलार्थी निरस्त करने योग्य है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती है।
5. निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावें।
6. निर्णय आज **दिनांक 27.08.2019** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
7. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

जिला कलक्टर